रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05012023-241691
**CG-DL-W-05012023-241691**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

साप्ताहिक
**WEEKLY**

**सं. 48]** नई दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2022, शनिवार/ पौष 4—पौष 10, 1944

**No. 48]** NEW DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2022, SATURDAY/ PAUSHA 4—PAUSHA 10, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

---

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

**सा.का.नि. 201.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 केपरन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएऔर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी भर्ती नियम,1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिएनिम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, सहायक निदेशक (रसायन)/विष विज्ञानी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके,तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करकेइन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

1. **व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद । | सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा । | सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियोंके लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अहर्ताएं । |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सहायक निदेशक (रसायन)/ विष विज्ञानी | *2 (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क 'राजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67000 - 208700 रु.) | अचयन | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा याप्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| आयु : लागू नहीं होता ।<br>शैक्षिक अहर्ताएं : लागू नहीं होता । | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | (i) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविंदा भी है ।<br>(ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविंदा भी है । |